

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर

:: कार्यालय आदेश ::

सुबोध पब्लिक स्कूल, एयरपोर्ट रोड, सागानेर, जयपुर.....

का हिन्दी माध्यम/अंग्रेजी माध्यम से गणगण्यन में सरकारी शिक्षण संस्थान मान्यता एवं अनुदान नियम-1993 एवं तत्पश्चात् किये गये संशोधन के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करना हुये सन् 2005-2006 से उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता उनके आवेदन एवं निरीक्षण दल की अभिशंसा पर दी जाती है।

मान्यता तथ्य/नियमों की पालना न करने अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय विपरीत स्थिति पाये जाने पर संस्था की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।

शर्त :-

1. कक्षा अनुसार शत प्रतिशत प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त किये जायेंगे।
2. छात्र संख्या निर्धारित मानदण्डानुसार होनी चाहिये।
3. कार्यरत कर्मचारियों का नियमानुसार वेतन भत्ते आदि की सुविधा दी जाये।
4. भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जायगा।
5. 30 सितम्बर के आधार पर प्रत्येक वर्ष नामांकन एवं वित्तीय वर्ष समाप्ति पर आय व्यय विवरण स्थानीय कार्यालय में सांख्यिकी शाखा में प्रस्तुत करें।
6. शिक्षा आपके द्वार अभियान के तहत शिक्षा से वंचित परिक्षेत्र के बच्चों को आपकी शाला से अनिवार्य रूप से जोड़कर सूची इस कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।
7. शपथ पत्र में अंकित तथ्य एवं प्रमाण पूर्णतया वास्तविक एवं सही होने चाहिये।
8. विभागीय आदेशों एवं नियमों की शत-प्रतिशत पालना की जानी आवश्यक है
9. संस्था को शपथपत्र- प्रस्तुत कर के विषय में विभागीय नियमों का उल्लंघन करने, मल-बल पिन्ट न करना, प्रस्तुत करने तथा 24 का स्टाप होने के कारण पीएचए कटाव की जानी की शर्त के अधीन पर।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रा. शिक्षा, जयपुर

क्रमांक : जिशिअ/जय/प्रा.शि.सामान्य/पत्र. 48 / 05/65-51 दिनांक 31-3-2005

प्रतिलिप : निम्नलिखित को सूचनाथ प्रेषित है :-

1. शिक्षा उपनिदेशक प्रा. शि. (जयपुर नृत्त), जयपुर।
2. सचिव,
3. रक्षित पत्रावली

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रा. शिक्षा, जयपुर

भवै. मंत्री
पत्र. 48. 05. सुबोध शिक्षा संस्थान जयपुर